दून विश्वविद्यालय, देहरादून

कुलसचिव कार्यालय

पत्रांक 833/डी.यू./2026 दिनांक 01 जनवरी, 2026

कार्यालय आदेश

सभी सम्बन्धित छात्र छात्राओं को सूचित किया है कि दून विश्वविद्यालय की 24वीं वित्त समिति की बैठक में लिये गये निर्णय व तत्क्रम में कार्य परिषद के अनुमोदनोपरान्त, दून विश्वविद्यालय के छात्रावासों में निवासरत छात्र–छात्राओं के लिए मैस रिबेट भुगतान के प्राविधान को निम्न प्रकार संशोधित किया गया है–

1. विलम्ब से छात्रावास आवंटन की स्थिति में :–

ऐसे छात्र–छात्राएँ जिन्हें प्रशासनिक कारणों या कार्यालयी प्रक्रिया के चलते छात्रावास का आवंटन सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् विलम्ब से प्राप्त होता है, उन्हें उस विलम्ब अवधि की मैस रिबेट राशि का भुगतान मुख्य वार्डन की संस्तुति पर तत्काल अथवा आगामी सत्र के शुल्क में नियमानुसार समायोजित (Adjust) किया जायेगा।

2. छात्रावास परित्याग (Hostel Vacating) की स्थिति में :–

यदि कोई छात्र/छात्रा सत्र के मध्य में किन्हीं अपरिहार्य कारणों से छात्रावास का परित्याग करता/करती है, तो उसे सम्बन्धित सेमेस्टर की शेष अवधि का मैस रिबेट नियमानुसार अनुमन्य/देय होगा। छात्रावास परित्याग हेतु सम्बन्धित छात्र छात्रा को तत्काल मुख्य वार्डन या सम्बन्धित हॉस्टल के वार्डन को लिखित रूप से सूचित करना होगा।

3. अनुपस्थिति एवं रिबेट का हस्तान्तरण :–

दिनांक 01–01–2027 से छात्र/छात्राओं को उनकी मासिक अनुपस्थिति (Absence) के आधार पर व्यक्तिगत मैस रिबेट की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।

- मैस संचालन करने वाली फर्म को छात्र की वास्तविक उपस्थिति के अनुसार ही भुगतान किया जायेगा, शेष धनराशि विश्वविद्यालय के एल्युमिनी प्रकोष्ठ (Alumni cell) के खाते में छात्र कल्याण एवं विश्वविद्यालय विकास हेतु हस्तान्तरित कर दी जायेगी।

उपरोक्त दो श्रेणियों (विलम्ब आवंटन एवं छात्रावास छोड़ने) के अतिरिक्त अन्य किसी भी आधार पर मैस रिबेट हेतु किया गया दावा स्वीकार्य नही किया जायेगा।

उक्त व्यवस्था 01 जनवरी, 2027 से प्रभावी रूप से लागू मानी जायेगी।

(दुर्गेश डिमरी)
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. वैयक्तिक सहायक, कुलपति को कुलपति महोदया के सूचनार्थ।
2. वित्त नियन्त्रक एवं सहायक कुलसचिव, वित्त।
3. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रभारी विभागाध्यक्ष।
4. चीफ वार्डन एवं हॉस्टल वार्डन।
5. आई.सी.टी. विभाग को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।

(दुर्गेश डिमरी)
कुलसचिव